न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022 / 70

प्रकरण संख्या 38 / 22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री भीमराज सालवी बनाम राज्य सरकार

निर्णय

दिनांक : 30.05.2022

1. प्रार्थी श्री भीमराज सालवी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम राजपुरा, पटवार हल्का पीथलपुरा की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 01 की आराजी संख्या 413 कुल रकबा 0.8100 हैक्टेयर भूमि बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है जबकि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार रेकर्ड से पूर्व उक्त भूमि खाता संख्या 01 की आराजी संख्या 945, 945 / 1, 945 / 2 कुल रकबा 3–15 बीघा भूमि ग्राम पंचायत पीथलपुरा के आबादी भूमि दर्ज है जिसे भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना कोई आदेश राजस्व रेकर्ड में त्रुटि कर दी गई है। जिसको दुरस्त कराने का आदेश फरमावे। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में हमने तहसीलदार कानोड को जवाब रिपोर्ट हेतु निर्देशित किया गया।
2. तहसीलदार कानोड़ द्वारा उक्त प्रकरण में जवाब रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की बन्दोबस्त से पूर्व भूमि राजस्व रेकर्ड ग्राम राजपुरा, पटवार हल्का पीथलपुरा की जमाबन्दी संवत् 2069–72 की आराजी संख्या 945 रकबा 1–05 बीघा, आराजी संख्या 945 / 1 रकबा 1–05 बीघा, आराजी संख्या 945 / 2 रकबा 1–05 बीघा भूमि आबादी भूमि के नाम है जबकि नवीन सेटलमेन्ट जमाबन्दी रेकर्ड सवंत् 2078–81 के खाता संख्या 01 की आराजी संख्या 413 रकबा 0.8100 हैक्टैयर भूमि बिलानाम दर्ज कर दी गई है वर्तमान में उक्त भूमि पर लगभग 25–30 परिवार निवास कर रहे है एव आबादी बसी हुई है। अतः तहसीलदार भीण्डर ने मय अनुशंषा रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:35:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला–उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर जिला–उदयपुर (राज.)

प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व रेकर्ड एवं नामान्तकरण के अवलोकरन के पश्चात् खाता संख्या 01 की आराजी संख्या 413 कुल रकबा 0.8100 हैक्टेयर भूमि बिलानामा गैर काबिल काश्त से आबादी भूमि शुद्धि किया जाना उचित है।

3. हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अवलोकन किया एवं माननीय राजस्व मण्डल के अपील/एल.आर./6933/2011/उदयपुर में दिये गये निर्णय एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.6 (12) राज. 16/92/26 दिनांक 20.12.1995 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं पत्रावली के तथ्य प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबन्दी संवत् 2069–72 एवं जमाबन्दी संवत् 2078–81 एवं मिलान खसरा का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया जिससे मौजा राजपुरा, पटवार हल्का पीथलपुरा की जमाबन्दी संवत् 2069–72 की आराजी संख्या 945 रकबा 1–05 बीघा, आराजी संख्या 945/1 रकबा 1–05 बीघा एवं आराजी संख्या 945/2 रकबा 1–05 बीघा भूमि आबादी भूमि के नाम दर्ज है जबकि नवीन सेटलमेन्ट जमाबन्दी रेकर्ड सवंत् 2078–81 के खाता संख्या 01 की आराजी संख्या 413 रकबा 0.8100 हैक्टैयर भूमि बिलानाम दर्ज कर दी गई है जिसे पुनः शुद्धि किया जाकर बिलानाम भूमि से आबादी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

4. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर मौजा **राजपुरा, पटवार हल्का पीथलपुरा तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 1 की आराजी संख्या 413 रकबा 0.8100 हैक्टेयर भूमि किस्म बिलानाम के स्थान पर उक्त भूमि आबादी ग्राम पचांयत पीथलपुरा के नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।** तहसीलदार कानोड़ राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे।

5. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:35:16 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला–उदयपुर(राज.)

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर
जिला–उदयपुर(राज.)